

14.10.24 अधिवक्ताओं की आज्ञाकारिता होने से यह प्रकरण वास्तु सुनवाई, दिनांक 22.10.24 को पेश हों।

सिद्ध

22.10.24

पञ्जाबली चम हुई। प्राची अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्राची अधिवक्ता की वरय सुनी गई। प्राची अधिवक्ता द्वारा प्राची पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अध्याई निवेदाता तपाड जारी होने का निवेदन किया गया। पञ्जाबली का अवलोकन किया गया। प्राची द्वारा सुलगाद तास्ते घोषणा बंगारा ल्याई निवेदाता का चम बिना है विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए हेतु प्रा उन्हे क्विट्ट स्वरफा कार्यवाही कि ई गई श्री प्रकरण में विपक्षीगण के विरुद्ध दिनांक 17.1.23 को अन्तरिम अध्याई निवेदाता जारी की गई है। प्रकरण में विपक्षीगण प्राची वाडग्रस्त आराजीयात में सहबन्धेदा होने के विपक्षीगण बंदपत करते हैं जो प्राची का अप्रणनीय शक्ति होगी।

अ. प्रकरण उभयपक्ष (प्राची एवं विपक्षीगण 159) को अध्याई निवेदाता से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम पाटिय प.म. पट्टणा श्री डा.सं. 7180 से 7182, 7186, 8630, 8631, 8633, 8639, 8788 खिन 9 रकबा 3.0650 हेक्टर के मौजे ल्व रिकार्ड की मूल वाड प्रकरण संख्या 84/2022 अत्रवान सोला बनान मानसिंह के निस्तारण तउ यथा स्थिति बनाए रखें।

क्रिय लर इजलास चुनाव गया। प्रकरण फैसल-शुमार हकर नम्बर ये कम हो।



(रिया डमी)

उपसचिव आधिकारी
गिर्वा, उदयपुर